

शाकेसुभो—225—आडशिभो—3-8-15—50,000.

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म. प्र. भोपाल

289/

पंजी क्रमांक.....

विषय :-

W.P. 9/9/2016 को मंजूर आदेश एवं
इसमें 1 विवरण शामिल

साचिव मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग
के आदेश क्रमांक 476/अ.प्र. 7/16 दिनांक 4-2-16 को
विभागीय प्रकरण में प्रभावी सुविधा की निष्पत्ति
का ही जवाब है। क्योंकि उल्लिखित आदेश जारी
करने हेतु तालि विधि विभाग की स्वीकृति (आदेश
नहीं आया है)

रुपया,

A - प्रतिरक्षण आदेश हेतु नवी
विधि विभाग की स्वीकृति
माह 1

10/03/16

आयुक्त/सचिव

विधि - विभाग

समाकान्त समराव
सचिव/आयुक्त
विभाग, उच्च शिक्षा विभाग



1
26/2/16

1

**IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : Bench at
GWALIOR**

Process Id: 4818/2016

WP/919/2016

अधीनस्थीय आदेश 7/3
दिनांक 25/2/16

From

Deputy Registrar,
High Court of MP
Bench at Gwalior

FOR ADMISSION
Fixed for 14-03-2016
DA- 06
Respondent No. 2
RAD

To,

The Commissioner,
Department of Higher Education,
Satpura Bhawan, Arera Hills, Bhopal,
District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

Gwalior 11-02-2016

आदेश
25-2-16

Sub: Notice to Respondent No. 2 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/ 919/ 2016

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Dr.manju Bhargava** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/919/2016**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **14-03-2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

(Seal of the Court)

Encl: Copy of Petition



GWALIOR

Your faithfully

Scutty
16.2.16

SECTION OFFICER

Section Officer

High Court Of Madhya Pradesh
Bench Gwalior

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 426/289/2015/116 मॉडल, दिनांक 4-3-16

सिविल प्रक्रिया संहिता 1990 (1908 का अधिकतम संख्या-5) के आदेश सत्ताईस नियम-1 तथा
-1 अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए

अतिरिक्त अगल अगल उच्च शिक्षा

आदेश/उत्तर/निर्णय/विधि विभाग को याचिका क्रमांक W.P. 116/16

(पक्षकारों के नाम) डॉ. गोपू भार्गव एवं अन्य विरुद्ध
मामला

के मध्यप्रदेश राज्य के लिये तथा उसके ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनांक पत्र पर हस्ताक्षर करने तथा इन्हें सत्यापित करने के लिये कार्य करने आवेदन करने और उप संज्ञात होने के लिये नियुक्त करते हैं, प्रभारी अधिकारी को आदेश दिया जाता है, कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति तुरन्त पश्चात् वादों में ऐसी स्थिति में जिसके व्योरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा:-

1/ प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसा की, आवश्यकता हो, और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिससे कि मामले के संचालन में विधिक/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचेगी, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया हो तो उसे विभाग की रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट किया जायेगा।

2/ समस्त सुसंगत फाइलें, दस्तावेज, नियम अधिसूचना तथा आदेश एकत्रित करेगा।

3/ उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करेगा।

4/ शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित/कथन उत्तर तैयार करवाएगा।

5/ महत्वपूर्ण/नीतिगत प्रकरणों में तैयार किये गये लिखित/कथन या उत्तर विभागीय/प्रशासकीय अनुमोदन हेतु निम्नानुसार भेजेगा:-

1/ वाद/पत्र की एक प्रति के साथ प्रकरण तथा लिखित कथन की संक्षेपिका।

2/ प्रस्तावित लिखित कथन का प्रारूप।

3/ उन सभी दस्तावेजों की सूची तथा प्रतिलिपि जिन्हें साक्ष्य स्वरूप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

4/ मामले विशदीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियों में वाद की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये।

6/ मामले की तैयारी और संचालन में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले के प्रक्रम और संबंधित नियमों में किये परिवर्तन से स्वयं को सदैव अवगत रखेगा।

7/ जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्ट तथा मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है, विधि विभाग एवं प्रशासकीय विभाग को सूचित करना तथा उसकी एक प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करेगा।

8/ अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही करने के लिये इस विभाग को भेजेगा।

9/ यह देखना कि आवेदन करने, प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में अनावश्यक समय नष्ट न हों।

10/ जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है, वह अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद भार देने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता है।

11/ प्रभारी अधिकारी मामलों को तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता की हर संभव मदद/सहयोग करेगा तथा सुनिश्चित करेगा कि वाद के लिये उत्तरदायी कोई महत्वपूर्ण तथ्यात्मक दस्तावेज अप्रकटित नहीं रह जावे।

12/ महत्वपूर्ण/नीतिगत मामलों में निर्धारित दिनांक को न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

13/ जिन प्रकरणों में माननीय मुख्य सचिव को पक्षकार बनाया गया है ऐसे मामलों में माननीय मुख्य सचिव का नाम विलोपित करने हेतु न्यायालय के समक्ष शीघ्रताशीघ्र आवेदन दायर कर विलोपित करवाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार


सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक

4-3-16

पृ०क०

प्रतिलिपि:-


1/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय म०प्र० जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर संभाग म.प्र. की ओर।

2/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग विध्याचल भवन भोपाल

3/ संबंधित जिलाध्यक्ष, जिला 12 (म.प्र.) मध्यप्रदेश।

4/ प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रपिपित। साथ ही शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करने और उपस्थिति प्रमाण-पत्र प्राप्ति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक मेट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और मामलों में अपनी प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव ही भेजना चाहिये वाद पत्र की प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जायें, मामले की सुनवाई की तारीख 14/3/16 की सुनवाई हेतु नियत की गई थी/है।

5/ क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

OK
Mishra
29/2/16